सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –1213/2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रहलाद पुत्र बीरमा रेगर निवासी प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र देवी
2. देउ बेवा स्व भोमा
3. रतना पुत्र भोमा
4. महावीर पुत्र भोमा
   समस्त जाति बैरवा निवासीगण प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–11.05.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प प्रान्हेडा में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित है। विवरण निम्न प्रकार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 457 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 3284 रकबा 1.01 है. की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है। वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रतिवादी 1 से 4 का कोई हक हिस्सा आदि व किसी प्रकार का वास्ता व सरोकार नहीं है। किन्तु प्रतिवादी 1 से 4 वादग्रस्त आराजी के पडोसी खातेदार कृषक हैं जिसके कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 लैण्डलार्ड (भूमि का मालिक) होने से प्रतिवादी संख्या 5 को पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी की सीमाओं को लेकर वादी व प्रतिवादीगण 1 से 4 के मध्य आपसी कहासुनी होती है जिसके कारण वादी वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु 6 बार मौका दिया । वादपत्र मात्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट का है प्रतिवादीगण जवाब पेश ना करके वाद को जानबूझ कर लम्बा करना चाहते हैं जो विधि के विरूद्ध है लिहाजा प्रतिवादीगण का जवाब बन्द कर प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी की पत्थरकढी हेतु समझाईश की गई। वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने में प्रतिवादीगण 1 से 4 को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 5 का जवाब पेश हो चुका है जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब में वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने से राजहित प्रभावित नही होता है। पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नही होने से वादी का दावा स्वीकार योग्य बनता है।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। जिसमें वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी आराजी होने से वादपत्र का संतुलन वादी के पक्ष में है जिससे वादी का दावा प्रेमापेशाई केस होना पाया जाता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्वअधिनियम का वादग्रस्त की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 457 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 3284 रकबा 1.01 है. की पत्थरगढी हेतु वादी का दावा स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी की जाकर मौका पर्चा मय नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनाक 11.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्डअधिकारी
केकड़ी